



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



फाइल नम्बर: 9-PBC303/2019-CHA

दिनांक: 07-02-2020

सेवा में,

अ.प्रधान मुख्य वन संरक्षक &
नोडल ऑफिसर (एफ.सी.ए.)
पंजाब सरकार, वन कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 68,
एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब

Sub: Diversion of 30.25 ha (instead of 31.42 ha) of forest land for Development of International standard Tourism/Theme Destination in State of Punjab on Pathankot-Dalhousie Road around Ranjit Sagar Lake area Forest Division and District Pathankot (By Special Secretary Govt. of Punjab, Department of Housing and Urban Development, Punjab) (Online proposal No. FP/PB/Others/33014/2018)-regarding

सन्दर्भ: पंजाब सरकार, के पत्र संख्या FCA/1980/269/2018/4210 दिनांक 16.01.2020

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 30.25 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है। उपरोक्त प्रस्ताव दिनांक 22.01.2020 को संपन्न हुई REC की 29 वी बैठक में रखा गया जिसमें REC ने प्रस्ताव में सैधांतिक स्वीकृति प्रदान करने की सिफारिश का अनुमोदन किया परन्तु आग्रह किया कि Stage-I स्वीकृति प्रदान करने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं :-

- User agency shall submit the amended DEM as discussed in the meeting.
- User agency shall submit the corrected/updated DPR.
- User agency also shall submit layout plan of the resort with final architectural design because of its PPP nature.

उपरोक्त सूचना शीघ्र भेजी जाए।

भवदीय,

(के जेड भुटिया)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला Pathankot पंजाब।